राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ/13242-53 दिनांक : 04/10/2021

नियुक्ति आदेश

राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प. 14(58)(1)आरएसएमएसएसबी/अर्थना/कृषि/कृ.पर्य./पात्रता जांच/2018/956 दिनांक 03.09.2021 द्वारा विभाग के संवर्ग नियंत्रणाधीन **गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के स्थान पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1 अभ्यर्थी** का कृषि पर्यवेक्षक के पद पर अन्तिम रूप से चयन किया जाकर इनके पदस्थापन की अभिशंषा की गई है।

अतः निम्नांकित अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 की अधिसूचना संख्या प.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दि0 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान अनुसार नियम 16 में अंकित प्रावधानों एवं नियम 16 के परिशिष्ठ– iV के अन्तर्गत पे–मेट्रिक्स एल–5 में अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिए नियत पारिश्रमिक **(Fixed Remuneration) रू0 14,600/– (अक्षरे रू0 चौदह हजार, छः सौ मात्र)** प्रतिमाह पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी **(Probationer-Trainee)** के रूप में **कृषि पर्यवेक्षक** के पद पर नियुक्ति की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित **कार्यालय में प्रथमतः फिल्ड प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित** किया जाता है :–

गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी (कार्यग्रहण नहीं करने वालों के स्थान पर)

क्रसं	रैंक	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	पता	गृह जिला	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	वर्ग, जिसके विरूद्ध चयन	कार्यालय, जिसमें उपस्थिति दी जानी है
1	783	286083	SURESH YADAV	NANU RAM YADAV	VILL-LALGARH, POST-JALSOO, TEH-AMER, JAIPUR PIN 303701 Rajasthan	JAIPUR	01/07/1999	Male	OBC		OBC_WL	उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, जयपुर

उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी :–

1 उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।

2 अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि **कृषि पर्यवेक्षक** के पद पर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने की दिनांक से मान्य होगी।

3 नव–चयनित कृषि पर्यवेक्षक वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 15 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।

4 अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

5 उक्त चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति इस भर्ती से संबंधित माननीय न्यायालयों में विचाराधीन रिट याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।

6 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं इससे संबंधित अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे। चयनित अभ्यर्थी को मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी होगी।

7 पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राज्य सरकार के नियमानुसार नियत पारिश्रमिक या वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।

8 चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होगें।

9 परिवीक्षाधीन अवधि में राज्य सरकार की शर्तो/नियमो के अनुसार राजकीय सेवा करनी होगी।

10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश में उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करते समय निर्धारित योग्यता मापदण्ड के निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–

- पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र (Verification of Antecedents Certificate) **(मूल प्रति)**, जो सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो।
- राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र **(मूल प्रति)**, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पी.एम.ओ.) तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया हो किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में किसी राजकीय महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।
- जन्मतिथि के सत्यापन हेतु – सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अन्य कोई मान्य प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु अंकतालिका/प्रमाण पत्र।
- वर्ग सत्यापन हेतु : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति, अति–पिछडा जाति, सहरिया जनजाति आदि का प्रमाण पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- राज0 सेवा नियम के नियम 22 (ख) के अन्तर्गत बन्ध–पत्र।

11 **उक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र (Verification of Antecedents Certificate) (मूल प्रति), जो सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल प्रति), जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पी.एम.ओ.) तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया हो किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में किसी राजकीय महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा, उपस्थिति प्रस्तुत करते समय संबंधित कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।**

12 ऐसे अभ्यर्थी, जो संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करते समय **पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र (Verification of Antecedents Certificate) तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त** उक्त अन्य उल्लेखित निर्धारित योग्यता मापदण्ड के वांछित दस्तावेज **कार्यग्रहण करते समय** प्रस्तुत नहीं कर पाते है, वे अपने शेष रहे दस्तावेज कार्यग्रहण करने की दिनांक से 30 दिवस (तीस दिवस) के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित योग्यता मापदण्ड के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अथवा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नियमानुसार योग्यता धारक नहीं होना पाया जाता है **तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा और उसका कोई क्लेम विभाग में नहीं रहेगा।**

13 कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नवनियुक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14 उक्त कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी। परिवीक्षा काल में इन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी। परिवीक्षाकाल में सेवाऐ सन्तोषजनक नही होने की स्थिति में नियमानुसार परिवीक्षाकाल बढाया जा सकता है, या बिना कारण बताए सेवाए समाप्त की जा सकती है।

15 परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस हेतु समय समय पर जारी निर्देशानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा एवं असाधारण अवकाश स्वीकृत होने की स्थिति में नियमानुसार परिवीक्षाकाल बढ जाएगा।

16 जो चयनित अभ्यर्थी वर्तमान में कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो में कार्यरत है वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेगें।

17 उक्त चयनित अभ्यर्थी को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

11/10/17

(डॉ0 ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि एवं
पंचायती राज (कृषि)

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ / 13242-53 दिनांक : 04/10/2021

<u>**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**</u>

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. संबंधित खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि।
7. **उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, जयपुर** को भेजकर लेख है कि **संबंधित चयनित अभ्यर्थी से पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र (मूल), चिकित्सा प्रमाण पत्र (मूल) कार्यग्रहण करते समय प्राप्त कर ही उसकी उपस्थिति स्वीकार करें एवं अन्य निर्धारित योग्यता मापदण्ड के मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी करें तथा दस्तावेजों की एक–एक प्रमाणित प्रति इनकी निजी पत्रावली में रखे। <u>संबंधित चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करते समय प्रस्तुत पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र में यदि किसी अभ्यर्थी के विपरीत प्रविष्टि अंकित हो तो उसकी उपस्थिति स्वीकार नहीं करते हुए कृषि आयुक्तालय को प्रकरण तत्काल प्रेषित करावें।</u> उक्त अभ्यर्थी की कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब आयुक्तालय को प्रेषित करावें।**
8. ए.सी.पी, कम्प्यूटर शाखा मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. **संबंधित चयनित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट से नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर, संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मय संबंधित दस्तावेजों के निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें।**
10. निजी / आरक्षी पत्रावली।

(के.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)